

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए) टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग को विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उपवन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाये।

6/8/2020

दिनांक :-

हस्ताक्षर :-

स्थान :-

नाम व पदनाम

सरकारी मोहर:-

CF, Aligarh की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।



Pankaj Misra
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow